बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

पटना–12 अप्रैल, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर–शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

जहाँ तक नाम निर्देशन की बात है तो आज दिनांक 12.04.2024 को लोक सभा आम चुनाव, 2024 के तीसरे चरण के लिये पाँच लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों (झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया एवं खगड़िया) के लिये अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का प्रथम दिन था। प्राप्त सूचनानुसार मात्र झंझारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से 01 नामांकन दाखिल किया गया है।

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिये आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में 01 (औरंगाबाद जिला) केस रिकॅार्ड है, लाउडस्पीकर के उल्लंघन के मामले में 02 (भागलपुर एवं नालंदा जिला) केस रिकॅार्ड है तथा तद्नुसार 02 FIR दर्ज है, अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में 04 (औरंगाबाद, गोपालगंज तथा सहरसा जिला) केस रिकॅार्ड है तथा तदनुसार 03 FIR दर्ज है।

आदर्श आचार संहिता के ही तहत संपत्ति विरूपण के संदर्भ में लोकसंपत्ति के तहत 03 दीवाल लेखन के मामले में कार्रवाई की गई है।

दिनांक 11.04.2024 को कुल ₹8.26715(लाख) रूपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर–13356.62(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य ₹32.69031(लाख) है। जहाँ तक ड्रग्स एवं नारकोटिक्स की बात है तो कुल ₹12.81026(लाख) मूल्य के 39399.40(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। वही मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल ₹36.13028(लाख) मूल्य की 12704.74 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल ₹89.89801(लाख) मूल्य की कुल जब्ती प्रतिवेदित है।